सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 28.03.2025

मात्र 12 घण्टे के अन्दर नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना सैफई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.03.2025 को थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी द्वारा थाना सैफई पर अपनी 16 वर्षीय पुत्री को नरेन्द्र कुमार पुत्र रनवीर सिंह द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, सूचना पर तत्काल थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 63/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.03.2025 को थाना सैफई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर गस्त की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 63/2025 से सम्बन्धित अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र रनवीर सिंह को **बघुईया चौराहा के पास से समय 19.15 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र रनवीर सिंह निवासी ग्राम गिंगौरा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी **उम्र 30 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री राकेश कुमार मिश्रा प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 सुमनपाल, हे0का0 सुशील कुमार, का0 अनुराग कुमार, म0का0 सोनी यादव।